यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा के माह 12.2014 से 03.2018 के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 31.03.2018 से 07.04.2018 एवं 23.04.2018 से 27.04.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 25.12.2014 से 01.01.2015 तक श्री ए. सी. कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04.2008 से 11.2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त अल्मोड़ा जनपद आता है। जनपद में खाद्यान/चीनी, संबन्धित योजनाओ के अंतर्गत, पंजीकृत परिवारों को राशन एवं मिट्टी का तेल का वितरण एवं monitoring की जाती है, जो कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

(ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वित्तीय **वर्ष**	स्थापना (2408)		गैर स्थापना (4408)		कुल आवंटन	कुल व्यय	अधिक्य	ब्यत
	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि				
2013-14	145.9	140.59	0	0	145.9	140.59	0	5.31
2014-15	172.94	172.11	15.81	1	188.75	173.11	0	15.64
2015-16	159.05	158.14	19.75	17.34	178.8	175.48	0	3.32
2016-17	230.11	206.14	155	39.9	385.11	246.05	0	139.06
2017-18	203.43	196.24	126.89	52.22	330.32	248.46	0	81.86

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ: (क) केंद्रान्श (ख) राज्यांश (ग) अन्य प्राप्तियाँ			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष			---	---	---	---	---
प्रारम्भिक अवशेष		---	---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
कुल प्राप्तियाँ			---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान कुल व्यय			---	---	---	---	---
अंतिम अवशेष			---	---	---	---	---

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

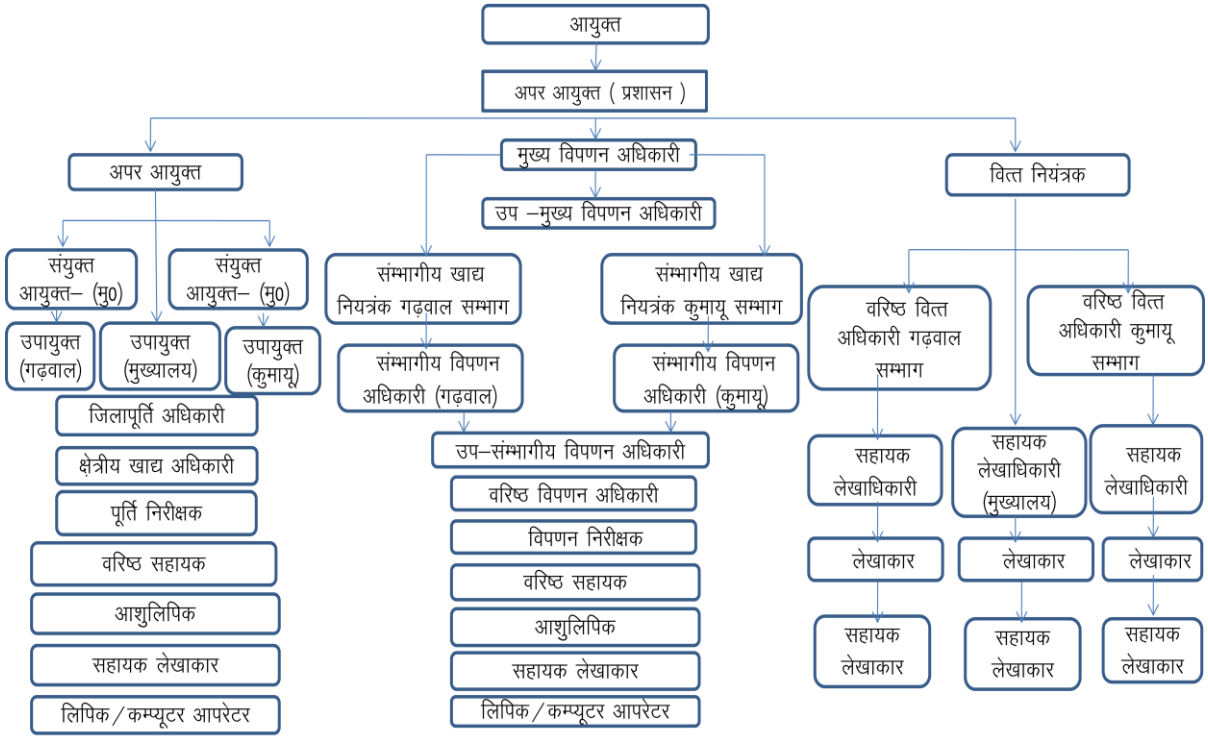

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 12.2014 से 03.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03.2017 एवं 03.2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- 2(ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>- 1 :- रु 2.29 करोड़ के व्यय धनराशि की प्रविष्टि रोकड़-बही में न किया जाना।

शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii (6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों – यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे I इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बंधित माह में किये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु एक प्रमाण पत्र निम्न प्रकार किया जाएगाः ''Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me'' and ''Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.''

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा की रोकड़बही की नमूना जाँच में पाया गया कि चयनित माहों 03.2017 एवं 03.2018 (विस्तृत जाँच) & 11.2017 एवं 11.2015 (अंकगणितीय जाँच) में BM- 05 में दर्शित वेतन एवं अन्य विभिन्न मदों की कुल सकल व्यय धनराशि **रू 229,07,348/-** को रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था। साथ ही, रोकड़-बही वर्ष 2013 से न बनाये जाने के साथ-साथ, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बंधित माहों में किये गये लेनदेनों के सत्यापन संबन्धित प्रमाण-पत्र कोषागार को प्रेषित नहीं किए गये थे। विवरण:-

(रु में)

माह	**कुल व्यय सकल धनराशि**	**नेट व्यय धनराशि**	**Remark, if any**
व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 03.2017	8327178	7684428	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 03.2018	7260147	6162202	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
व्यय की अंकगणितीय लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 11.2017	3393402	3109157	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
व्यय की अंकगणितीय लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 11.2015	3926621	3643969	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
योग=	**229,07,348/-**	**205,99,756/-**	

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "*भविष्य में शासनादेशानुसार का पालन किया जाएगा*"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii(6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के दिशा-निर्देश का उलंघन किया गया था।

अतः रु 2.29 करोड़ के व्यय सकल धनराशि की प्रविष्टि रोकड़-बही में न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग- दो (ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>-2 :- धनराशि रु 3.66 लाख की वसूली का लम्बित होना।

राशन कार्ड की धनराशि जिला पूर्ति अधिकारी के खाता, रिवोल्विंग फण्ड में जमा कराई जाती है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा राशन कार्ड की धनराशि से संबन्धित लेखा-जोखा नियमानुसार रखा जाता है। जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा रिवोल्विंग फंड के अंतर्गत मुद्रित कार्डों को संबन्धित इकाइयों को वितरित किया जाता है एवं वितरित किए गए कार्डों का मूल्य वसूल कर रिवोल्विंग फंड (SBI A/c No. 1086 1356 464) में जमा करना होता है। जिला पूर्ति अधिकारी के रिवोल्विंग फंड (SBI A/c No. 1086 1356 464) में दिनांक 31.03.2018 की तिथि को धनराशि रु 7,44,879/- अंतिम अवशेष (closing balance) पायी गई। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा चार प्रकार के राशन कार्ड "AAY {खाद्य सुरक्षा योजना (अंत्योदय परिवार हेतु, A-064)}, NFSA {खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार हेतु, F-064)}, BPL {खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार हेतु, B-064)} & SFY {उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना (पात्र परिवार हेतु, S-064)}" मुद्रित कराकर शासन द्वारा निर्धारित मूल्य क्रमशः रु 5/-, रु 5/-, 5/- एवं रु 10/- की दर से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को जारी करने हेतु निर्गत किए जाते हैं। जारी किए गए कार्डों का मूल्य उनसे प्राप्त कर रिवोल्विंग फंड में जमा करना होता है **<u>एवं</u>** वित्तीय हस्तपुस्तिका (Volume- v, Part-1) के नियम– 26 अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "Government servants receiving money on behalf of the Government, should be entered in the receipt. The officer should satisfy himself at the time of signing the receipt that the amount has been **entered in the cash-book**.

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि माह 02.2011 से माह 03.2018 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों को "AAY {खाद्य सुरक्षा योजना (अंत्योदय परिवार हेतु, A-064)}, NFSA {खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार हेतु, F-064)}, BPL {खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार हेतु, B-064)} & SFY {उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना (पात्र परिवार हेतु, S-064)}" के कुल 1,42,296 कार्ड निर्गत किए गए थे, जिनका मूल्य रु 10,21,665 था। इसके सापेक्ष संबन्धित ग्रामीण क्षेत्रों से रु 6,83,810/- ही प्राप्त किए गए थे, शेष रु 3,37,855/- की धनराशि वसूली 01 माह से 07 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी लेखापरीक्षा अवधि के माह 03.2018 तक लंबित थी। आगे, माह 02.2011 से माह 03.2018 की अवधि में शहरी क्षेत्रों को "AAY {खाद्य सुरक्षा योजना (अंत्योदय परिवार हेतु, A-064)}, NFSA {खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार हेतु, F-064)}, BPL {खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार हेतु, B-064)} & SFY {उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना (पात्र परिवार हेतु, S-064)} के कुल 11,721 कार्ड निर्गत किए गए थे, जिनका मूल्य रु 89,395/- था। इसके सापेक्ष संबन्धित शहरी क्षेत्रों से रु 61,069/- ही प्राप्त किए गए थे, शेष रु 28,326/- की धनराशि वसूली 01 माह से 07 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी लेखापरीक्षा अवधि के माह 03.2018 तक लंबित थी। अतएव ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से कुल धनराशि **रु 3,66,181/- (i.e. 3,37,855 + 28,326)** की वसूली लंबित थी।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए लम्बित वसूली के सम्बन्ध में कहा कि "*माह 02.2011 से 03.2018 तक की अवधि में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से कुल धनराशि रु 3,66,181/- की वसूली लंबित है, परन्तु शीघ्र वसूली की जायेगी*"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि *01 माह से 07 वर्ष* व्यतीत हो जाने के पश्चात भी धनराशि रु 3,66,181/- की वसूली लम्बित थी एवं विभागीय क्षति से बचाने हेतु धनराशि रु 3,66,181/- की यथाशीघ्र वसूली की जानी चाहिये थी।

अत: धनराशि रु 3.66 लाख की वसूली के लम्बित होने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग- दो (ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>- 3:- धनराशि रु 9.07 लाख के निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा की डेड-स्टाक अभिलेखों से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि माह 03.2018 के अन्त में 1,834 कट्टे एवं 177 बोरे उपयोगी पाये गए जबकि लेखापरीक्षा अवधि के माह 03.2018 के अन्त तक *"26,112* अनुपयोगी *कट्टे एवं 14,731* अनुपयोगी *बोरे" सहित कुल* धनराशि रु 9,07,362/- के पुस्तकीय मूल्य की निम्नलिखित सामग्रियाँ अक्रियाशील एवं निष्प्रयोज्य पाये गए:-

सामग्री का नाम	सामग्री की संख्या	दर (रु में) Approx	कुल मूल्य (रु में) Approx	सामग्री के प्राप्ति का वर्ष Approx	सामग्री के अकार्यशील/ निष्प्रयोज्य होने का वर्ष	अकार्यशील/ निष्प्रयोज्य होने का कारण
ताले	28	20	560	वर्ष 2010 से पूर्व का	वर्ष 2016 से	निष्प्रयोज्य
बाँस की तिपाही	5	350	1750	वर्ष 2008 से पूर्व का	वर्ष 2015 से	निष्प्रयोज्य
आलमारी लकड़ी की	1	3000	3000	वर्ष 2000 से पूर्व का	वर्ष 2012 से	निष्प्रयोज्य
मेज लकड़ी का	4	200	800	वर्ष 2000 से पूर्व का	वर्ष 2012 से	निष्प्रयोज्य
कुर्सी लकड़ी की	29	1200	34800	वर्ष 2011 से पूर्व का	वर्ष 2016 से	निष्प्रयोज्य
बेंच	1	800	800	वर्ष 2000 से पूर्व का	वर्ष 2011 से	निष्प्रयोज्य
ट्रे लकड़ी की	1	400	400	वर्ष 2000 से पूर्व का	वर्ष 2011 से	निष्प्रयोज्य
रिवोल्विंग कुर्सी	4	2500	10000	वर्ष 2005 से पूर्व का	वर्ष 2013 से	निष्प्रयोज्य
कम्प्यूटर टेबल	2	3000	6000	वर्ष 2005 से पूर्व का	वर्ष 2013 से	निष्प्रयोज्य
रैक लकड़ी का	1	300	300	वर्ष 2000 से पूर्व का	वर्ष 2015 से	निष्प्रयोज्य
लकड़ी के क्रेट्स	903	150	135450	वर्ष 2000 से पूर्व का	वर्ष 2011 से	निष्प्रयोज्य
कट्टे	26,112	12	313344	वर्ष 2010 से अब तक के	वर्ष 2010 से अब तक के	निष्प्रयोज्य
बोरे	14,731	18	265158	वर्ष 2010 से अब तक के	वर्ष 2010 से अब तक के	निष्प्रयोज्य
कम्प्यूटर सिस्टम	3	45000	135000	वर्ष 2005 से पूर्व के	वर्ष 2014 से खराब है	निष्प्रयोज्य
		Total=	**9,07,362/-**			

उपरोक्त सामग्रियाँ खराब थी एवं मरम्मत योग्य नहीं थी। उक्त सामग्रियों को न तो निष्प्रयोज्य घोषित किया गया था एवं न ही नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न की गई थी। सामग्रियों को और

अधिक मूल्य ह्रास से बचाने के लिए समुचित नीलाम एवं नीलामी के उपरान्त प्राप्त धनराशि को यथाशीघ्र कोषागार में जमा किया जाना चाहिए था।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "*शीघ्र निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी एवं प्राप्त धनराशि को कोषागार में जमा कर दिया जायेगा*"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी कर, उक्त सामग्रियों को और ज्यादा मूल्य ह्रास होने एवं विभागीय प्राप्तियों की हानि से बचाया जाना चाहिये था।

अत: धनराशि रु 9.07 लाख के निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
SS/AIR-161/ 2014-15	NIL	NIL	NIL	1,2,3, 4, 5 & 6

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SS/AIR-161/ 2014-15	**भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- nil; **भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- nil; **STAN**- nil; एवं **TAN**- nil	देखा एवं जाँचा गया।	TAN निरस्त किया जाता हैI	--

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

–– शून्य ––

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पंचायत भवन, धारानौला, अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री टी.एन. उपाध्याय	जिला पूर्ति अधिकारी	माह 12.2014 से दिनांक 10.07.2017 तक
श्री तेज बल सिंह	जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 11.07.2017 से दिनांक 16.02.2018 तक
श्री एन. डी. जोशी	प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 17.02.2018 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला पूर्ति अधिकारी, कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पंचायत भवन, धारानौला, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248001" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र